



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत धारा 482 बीएनएसएस के तहत आवेदन संख्या

- 4105 वर्ष 2026

विमलेश यादव एवं 3 अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : वीरेंद्र प्रताप पाल

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर ग्रहण किया जाता है।
2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. यह आवेदन आवेदकगण की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 90 वर्ष 2024, धारा 23, 504, 506, 308 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत, थाना रेवती, जनपद बलिया में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण निर्दोष हैं तथा उन्हें दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण का उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से कोई सरोकार नहीं है तथा उन्होंने अभियोजन द्वारा आरोपित कोई अपराध कारित नहीं किया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि कथित घटना में घायल को हुई चोटें साधारण प्रकृति की हैं। आगे प्रस्तुत किया गया कि प्राथमिकी एवं विवेचना के दौरान अभिलिखित कथनों में विरोधाभास है। आगे प्रस्तुत किया गया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा आवेदकगण को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41-क के अंतर्गत सूचना जारी किया गया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक संख्या 2 के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकरण में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, तथा आवेदक संख्या 2 को एक अन्य मामले में विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है। आगे प्रस्तुत किया गया कि शेष आवेदकगण का वर्तमान प्रकरण के अतिरिक्त कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण को उपर्युक्त प्रकरण में किसी भी समय पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका है, जबकि उनके विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यदि आवेदकगण को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे तथा विवेचना/विचारण में सहयोग करेंगे।

5. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया।

6. सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस विषय पर विधि को अंतिम रूप से यह प्रतिपादित करते हुए निर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत अनिवार्य रूप से सीमित अवधि के लिए प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं है। उपर्युक्त प्रकरण में यह विचारण की समाप्ति तक प्रभावी रह सकती है। यह भी प्रतिपादित किया गया है कि प्रदान की गई अग्रिम जमानत, अभियुक्त के आचरण एवं व्यवहार के आधार पर, आरोप-पत्र दाखिल होने के उपरान्त भी विचारण तक जारी रह सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया है कि अग्रिम जमानत पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना को प्रभावित करने अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने, साक्षियों को भयभीत करने, तथा न्याय से पलायन की संभावना जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए। यह भी प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय को सामान्यतः अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण के तथ्यों द्वारा निर्देशित होकर ही निर्णय करना चाहिए। अग्रिम जमानत प्रदान करना अथवा अस्वीकार करना न्यायालय के विवेकाधिकार का विषय है।

7. आवेदकगण के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की प्रकृति, आवेदकगण की भूमिका तथा प्रकरण के समस्त अभिलेखित तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, तथा गुण-दोष के आधार पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरे मत में यह प्रकरण आवेदकगण को विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु उपयुक्त है।

8. तदनुसार, आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

9. आवेदकगण- **विमलेश यादव, मिथिलेश यादव, रवि यादव एवं अभिषेक यादव**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त हैं, इस आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर विचारण न्यायालय/विवेचक के समक्ष उपस्थित होंगे तथा विचारण की समाप्ति तक इस शर्त के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाएंगे कि वे रु. 50,000/- का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करेंगे, जिसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर स्वीकार किया जाएगा, साथ ही निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेंगे:-

(i) आवेदकगण विवेचक/संबंधित न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर उपस्थित होंगे तथा विवेचना/विचारण में सहयोग करेंगे।

(ii) आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित है, को किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे जिससे वह न्यायालय या पुलिस के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विमुख हो।

(iii) आवेदकगण बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत से बाहर नहीं जाएंगे तथा यदि उनके पास यात्रा-पत्र है तो वह उसे संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के समक्ष जमा करेंगे।

10. यदि उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो यह आवेदकगण को प्रदान की गई संरक्षण की समाप्ति का आधार माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

दिनांक 02.06.2026

के. के. पटेल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।